



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6317 वर्ष 2025

वैभव सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: करुणेश प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, विक्रान्त प्रताप सिंह

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किय गया।
2. श्री अमित कुमार यादव, अधिवक्ता श्री करुणेश प्रताप सिंह, आवेदक के अधिवक्ता, श्री विक्रान्त प्रताप सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता, श्री आर.पी. पटेल, राज्य के राज्य विधि अधिकारी और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक की ओर से यह तीसरी ज़मानत याचिका है। पहली और दूसरी ज़मानत याचिकाओं को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा दिनांक 18.5.2023 और 23.7.2024 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था और 2018 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-45127 और 2024 के 7273 में पारित किया गया था।
4. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2017 के अपराध संख्या-116 में धारा 147, 148, 149, 120-बी, 302 भ०द०वि०, थाना-कैंट, ज़िला: गोरखपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एक नए आधार के रूप में, यह कैद की अवधि है जिस पर आवेदक ज़मानत का हकदार है क्योंकि वह 07.03.2017 से जेल में है और उसकी कैद के बाद से आठ साल और दस महीने बीत चुके हैं। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, सूचनाकर्ता और राज्य विधि अधिकारी के अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इस तरह, वह ज़मानत के हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 09.04.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, धारा 313 द०प्र०स० के तहत आरोपी का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा लगभग अपने तार्किक अंत पर है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 28, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!